

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

--:: कार्यालय आदेश ::--

मैं नगेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा, माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा के अनुमोदन आदेश क्रमांक 1797 दिनांक 09.03.2026 के अनुक्रम में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 12 (1) एवं धारा 13 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में वर्तमान लंबित प्रकरणों एवं कार्य के समानीकरण को दृष्टिगत रखते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक 05/पीआई/2017 दिनांक 18.03.2017 की पालना में इस कार्यालय द्वारा भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिरिचित करते हुये एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त M/s R.D. Jain & Co. Vs Capital First Ltd. Decided date 27.07.2022 के अनुसार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को भी सरफेसी के तहत क्षेत्राधिकार बाबत अधिकृत माने जाने से सम्पूर्ण भीलवाड़ा जिले में सरफेसी अधिनियम एवं अन्य अधिनियम के तहत प्रकरणों में कार्य के समानीकरण के लिए निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ :-

भाग “अ”

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पुलिस थाना	विशेष अधिनियम	अन्य अधिनियम
01	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।	पुलिस थाना कोतवाली एवं पुलिस थाना सार्डबर में व्युत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण प्रकरण	<u>पुलिस थाना भीमगंज एवं पुलिस थाना पुर क्षेत्र में व्युत्पन्न होने वाले निम्न लिखित प्रकरण :-</u> 01. धारा 408, 409, 467, 468, 471, 472 से 477ए भा.द.स. के प्रकरण एवं धारा 316(4), 316(5), 338, 336(3), 340(2), 341(1), 341(2), 339, 342(1), 341(2), 344 भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रकरण 02. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 03. राजस्थान आबकारी अधिनियम (50 लीटर से अधिक मात्रा वाले अपराध) 04. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 05. कारखाना अधिनियम, 1948 और बॉयलर अधिनियम, 2025	<u>01. सम्पूर्ण भीलवाड़ा जिले में व्युत्पन्न निम्न लिखित प्रकरण :-</u> ए. कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अधिनियम, 1948 के तहत व्युत्पन्न प्रकरण। बी. ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 सी. आब्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 02. पुलिस थाना कोतवाली, पुलिस थाना भीमगंज, पुलिस थाना पुर, पुलिस थाना माण्डलगढ़, पुलिस थाना बिगोद, पुलिस थाना काखोला, पुलिस थाना बड़लियास, पुलिस थाना बिजोलियों, पुलिस थाना गंगापुर, पुलिस थाना कारोई, पुलिस थाना रायपुर व पुलिस थाना करेड़ा के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न होने वाले सरफेसी अधिनियम के तहत समस्त प्रकरण।

		06. आयुध अधिनियम, 1959 07. राजस्थान गोजातीय पशु (वध प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात विनियमन) अधिनियम, 1995 08. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 09. गर्भाधान पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 10. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 11. औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 12. अन्य विशेष अधिनियमों के अपराध जिनमें न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि का कारावास या न्यूनतम 50 हजार जुर्माने के प्रावधान हो।	
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 01, भीलवाड़ा।	पुलिस थाना सुभाषनगर एवं पुलिस थाना हमीरगढ़ में व्युत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण प्रकरण	<u>पुलिस थाना मंगरोप व पुलिस थाना बनेड़ा क्षेत्र में व्युत्पन्न होने वाले निम्न लिखित प्रकरण :-</u> 01. धारा 408, 409, 467, 468, 471, 472 से 477ए भा.द.स. के प्रकरण एवं धारा 316(4), 316(5), 338, 336(3), 340(2), 341(1), 341(2), 339, 342(1), 341(2), 344 भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रकरण 02. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 03. राजस्थान आबकारी अधिनियम (50 लीटर से अधिक मात्रा वाले अपराध) 04. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 05. कारखाना अधिनियम, 1948 और बॉयलर अधिनियम, 2025 06. आयुध अधिनियम, 1959 07. राजस्थान गोजातीय पशु (वध प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात विनियमन) अधिनियम, 1995

01. ई.पी.एफ. बनेड़ा के प्रकरण जिनमें आबकारी सामग्री की मात्रा 50 लीटर से अधिक हो।

02. पुलिस थाना सुभाषनगर, पुलिस थाना हमीरगढ़, पुलिस थाना मंगरोप, पुलिस थाना बनेड़ा, पुलिस थाना माण्डल, पुलिस थाना बागोर, पुलिस थाना आसीन्द, पुलिस थाना गुलाबपुरा, पुलिस थाना शंभूगढ़ व पुलिस थाना रायला के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न होने वाले सरफेसी अधिनियम के तहत समस्त प्रकरण

		08. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 09. गर्भाधान पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 10. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 11. औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 12. अन्य विशेष अधिनियमों के अपराध जिनमें न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि का कारावास या न्यूनतम 50 हजार जुर्माने के प्रावधान हो।	
03 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, भीलवाड़ा।	पुलिस थाना प्रतापनगर एवं पुलिस थाना गांधीनगर में व्युत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण प्रकरण	पुलिस थाना सदर क्षेत्र में व्युत्पन्न होने वाले निम्न लिखित प्रकरण :- 01. धारा 408, 409, 467, 468, 471, 472 से 477ए भा.द.स. के प्रकरण एवं धारा 316(4), 316(5), 338, 336(3), 340(2), 341(1), 341(2), 339, 342(1), 341(2), 344 भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रकरण 02. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 03. राजस्थान आबकारी अधिनियम (50 लीटर से अधिक मात्रा वाले अपराध) 04. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 05. कारखाना अधिनियम, 1948 और बॉयलर अधिनियम, 2025 06. आयुध अधिनियम, 1959 07. राजस्थान गोजतीय पशु (वध प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रवजन या निर्यात विनियमन) अधिनियम, 1995 08. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 09. गर्भाधान पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994	01. ई.पी.एफ. भीलवाड़ा के प्रकरण जिनमें आबकारी सामग्री की मात्रा 50 लीटर से अधिक हो। 02. पुलिस थाना गांधीनगर, पुलिस थाना प्रतापनगर, पुलिस थाना सदर, पुलिस थाना जहाजपुर, पुलिस थाना पण्डेर, पुलिस थाना हनुमाननगर, पुलिस थाना शक्करगढ़, पुलिस थाना शाहपुरा, पुलिस थाना फुलियोकल्लो, पुलिस थाना कोटड़ी व पुलिस थाना पारोली के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न होने वाले सरफेसी अधिनियम के तहत समस्त प्रकरण

		10. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 11. औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 12. अन्य विशेष अधिनियमों के अपराध जिनमें न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि का कारावास या न्यूनतम 50 हजार जुर्माने के प्रावधान हो।	
04	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्व, भीलवाड़ा। पुलिस थाना बनेड़ा में व्युत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण प्रकरण (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 01, भीलवाड़ा को प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त)	01. भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों से सम्बद्ध पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न होने वाले राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के हो। प्रकरण।	01. ई.पी.एफ. बनेड़ा के प्रकरण जिनमें आबकारी सामग्री की मात्रा 50 लीटर से कम हो।
05	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिम, भीलवाड़ा। पुलिस थाना मंगरोप में व्युत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण प्रकरण (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 01, भीलवाड़ा को प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त)	01. भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों से सम्बद्ध पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न होने वाले नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रकरण।	
06	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 01, भीलवाड़ा। पुलिस थाना भीमगंज में व्युत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त)	01. भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों से सम्बद्ध पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न होने वाले कृषि उपज मंडी अधिनियम के प्रकरण।	01. ई.पी.एफ. भीलवाड़ा के प्रकरण जिनमें आबकारी सामग्री की मात्रा 50 लीटर से कम हो।

07	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, भीलवाड़ा।	महिला पुलिस थाना व पुलिस थाना पुर में व्युत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त)	01. भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों से सम्बद्ध समस्त पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रकरण।	
08	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 03, भीलवाड़ा।	पुलिस थाना सदर में व्युत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण प्रकरण (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, भीलवाड़ा को प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त)	भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों से सम्बद्ध समस्त पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न होने वाले यातायात शाखा व परिवहन विभाग के मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित प्रकरण। (थानों में दर्ज मोटर वाहन अधिनियम के प्रकरणों में थाने से सम्बद्ध न्यायालयों का ही क्षेत्राधिकार रहेगा।)	


 (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा (सा.क.))

भाग “ब”

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	पुलिस थाना
01	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), संख्या-01, भीलवाड़ा।	पुलिस थाना गांधीनगर व पुलिस थाना हमीरगढ़ के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न समस्त एन आई एक्ट प्रकरण
02	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), संख्या-02, भीलवाड़ा।	पुलिस थाना सुभाषनगर व पुलिस थाना बनेड़ा के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न समस्त एन आई एक्ट प्रकरण
03	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), संख्या-03, भीलवाड़ा।	पुलिस थाना कोतवाली के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न समस्त एन आई एक्ट प्रकरण
04	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), संख्या-04, भीलवाड़ा।	पुलिस थाना भीमगंज व पुलिस थाना सदर के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न समस्त एन आई एक्ट प्रकरण
05	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), संख्या-05, भीलवाड़ा।	पुलिस थाना प्रतापनगर, पुलिस थाना रायला, पुलिस थाना मंगरोप व पुलिस थाना पुर के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न समस्त एन आई एक्ट प्रकरण

नोट :-

- यह आदेश दिनांक 16.03.2026 से प्रभावी होगा।
- दिनांक 16.03.2026 से पूर्व के सभी पेशशुदा आरोप पत्र, अंतिम प्रतिवेदन, नतीजे की प्रतीक्षा में लम्बित रिमाण्ड एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अग्रिम कार्यवाही पूर्वादेश के तहत सशक्त संबंधित न्यायालय के द्वारा ही की जायेगी एवं उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
- दिनांक 16.03.2026 से पूर्व के समस्त परिव्राद जिनमें प्रसंज्ञान आदेश पारित नहीं हुये है, इस आदेश के अनुसार नये क्षेत्राधिकार से संबंधित न्यायालय को अन्तरित किये जावें।
- सरफेसी अधिनियम के तहत प्रतिभूत आस्ति जिन थाने के क्षेत्राधिकार में स्थित होगी, उससे सम्बद्ध न्यायालय (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 01, भीलवाड़ा एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, भीलवाड़ा) को क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल यातायात शाखा व परिवहन विभाग भीलवाड़ा के उन प्रकरणों का ही क्षेत्राधिकार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 03, भीलवाड़ा को प्रदत्त है, जो कि भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित थानों के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न होकर यातायात शाखा व परिवहन विभाग द्वारा संस्थित किए गए हों। पुलिस थानों में संस्थित मोटर वाहन अधिनियम के प्रकरणों का क्षेत्राधिकार उस थाने से सम्बद्ध न्यायालय को ही प्राप्त रहेगा।

(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा।न.)

क्रमांक :

दिनांक : 10.03.2026

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

01. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा।
02. समस्त न्यायालय, भीलवाड़ा न्याय क्षेत्र।
03. पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का प्रसारण भीलवाड़ा जिले के सम्बन्धित पुलिस थानो को कर पुनः सूचित करें।
04. अध्यक्ष बार एसोशिएशन भीलवाड़ा।
05. स्थापनानुभाग न्यायालय हाजा।


(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
भीलवाड़ा (रज.)